न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 82/2021 बउनवानी मेघराज बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर
ग्राम व पोस्ट लोरवाडा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर

GCMS No-2021/262

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
27.10.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 7.7.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. ख0न0 3120 की सत्यापित प्रति उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करे। 2. आपके पत्र कमांक 208 दिनांक 16.8.2021 के संबंध में थानाधिकारी से प्राप्त दस्तावेजो की सत्यापित प्रति उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करें 3. पार्टी नम्बर 1 के द्वारा ख0न0 3120 के मालीकाना हक संबंधी स्टाम्प पेपरो की सत्यापित प्रति मय स्टाम्प पेपरो की जारी तिथी सहित उपलब्ध करावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांकः/सूकाअ/2021/329 दिनांक 25.10.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 7.7.2021 में चाही गयी सूचना तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा जरिये पत्रांक 328 दिनांक 25.10.2021 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। चूंकि कार्यालय में उपलब्ध सूचना अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 7.7.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा जरिये पत्रांक रीडर/2021/328 दिनांक 25.10.2021 से अपीलान्ट (कुल 4 पृष्ठों की सूचना) को भिजवायी जा चुकी है। किन्तु तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को उक्त सूचना अधिनियम की तय समय सीमा के पश्चात उपलब्ध करवायी गयी है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य मे उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों को अधिनियम की तय समय सीमा मे प्राथमिकता से निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया। (राजेन्द्र किशन) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 17:53:19 IST
Reason: SelfAttested